(नियम 26)

अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बनेड़ा

गिरीश कुमार बनाम मोहन माली वगैरह

केस्म मुकदमा वाद नं. 261 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06.06.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में पेश हुई। वादी अधिवक्ता शिविर में उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 10 से 12 के सम्मन प्रोसस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 06 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में और अतिरिक्त अवसर दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा आज शिविर के दौरान सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	